सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 336 राँची, बुधवार

30 वैशाख, 1937 (श०)

20 मई, 2015 (ई०)

विधि (न्याय) विभाग

अधिसूचना

18 मई, 2015

संख्या-एल0जी0-09/2015-28/लेज0-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम पर राज्यपाल दिनांक-12/05/2015 को अनुमति दे चुके है इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाषित किया जाता है ।

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2015

(झारखंड अधिनियम संख्या-08, 2015)

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001) में संशोधन के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) यह झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम 2015 कहा जा सकेगा

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा

(3) यह तुरंत प्रवृत होगा

2. झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001 की धारा 39 एवं 54 का संशोधन –

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 39 एवं 54 में शब्द एवं मनोनीत विलोपित किए जाएंगे

3. झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001 की धारा 64 का संशोधन –

अधिनियम की धारा 64 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 64 'क' अंतःस्थापित किया जाता है -

64 'क' सदस्यता की निरर्हता -

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का मुखिया, पंचायत समिति का सदस्य या जिला परिषद का सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए निरर्हित होगा यदि वह व्यक्ति अधिनियम की धारा 19, 38 एवं 53 के अंतर्गत अयोग्यताओं (निरर्हताओं) के अध्यधीन है

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का मुखिया, पंचायत समिति का सदस्य या जिला परिषद का सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य नहीं होगा यदि ऐसा व्यक्ति अधिनियम की धारा 18 की उप धारा

(ii), धारा 37 की उप धारा (2) एवं धारा 52 की उप धारा (2) के अध्यधीन आवश्यक योग्यताओं को पूरा नहीं करता है;

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा के अंतर्गत ऐसे स्थान/ पद के लिए निर्वाचित हो गया है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए आरक्षित है तथा वह उस कोटि का अभ्यर्थी नहीं है, और ऐसे मामलों को किसी निर्वाचन याचिका के तहत प्रश्नगत नहीं किया गया है तो उप धारा (2) के अन्तर्गत मामले को विनिश्चय के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को सुपुर्द किया जाएगा ऐसे मामले राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा परिवाद, आवेदन या सूचना के रूप में लाया जा सकेगा राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे मामलों का स्वयं भी संज्ञान ले सकेगा एवं प्रभावित पक्षों को सुनने का पर्याप्त अवसर देते हुए ऐसे मामलों का यथाशीघ्र विनिश्चय कर सकेगा

(3) यदि किसी स्तर पर ऐसा कोई प्रश्न उठे कि ग्राम पंचायत का सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति का सदस्य या जिला परिषद का सदस्य अपने निर्वाचन के पूर्व या निर्वाचन के पश्चात जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-243(च) में प्रावधान किया गया है एवं धारा 19,38 एवं 53 में उल्लिखित निरर्हरताओं के अध्यधीन है तो इस विषय को राज्य निर्वाचन आयोग को विनिश्चय के लिए सुपुर्द किया जाएगा निरर्हता का मामला राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा परिवाद, आवेदन या सूचना के रूप में लाया जा सकेगा राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं भी ऐसे मामलों का संज्ञान ले सकेगा एवं प्रभावित पक्षों को सुनने का पर्याप्त अवसर देते हुए ऐसे मामलों का यथाशीघ्र विनिश्चय कर सकेगा ;

परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे किसी परिवाद या आवेदन जो विशुद्ध रूप से अधिनियम की धारा 152 के तहत् निर्वाचन याचिका से संबंधित हो, विचारित करने में सक्षम नहीं होगा

4. झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001 की धारा 65 का संशोधन –

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 65 के पश्चात निम्न धारा 65 'क' एवं 65 'क' 'क' अन्त:स्थापित की जाएगी –

65 'क' निर्वाचन व्यय का लेखा और उसकी अधिकतम राशि –

(i) पंचायत निर्वाचन का प्रत्येक अभ्यर्थी जिस तिथि को उसका नाम निर्देशन हुआ हो, उस तिथि से लेकर उसका परिणाम घोषित किये जाने की तिथि तक, उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा उपगत और प्राधिकृत, निर्वाचन से जुडे सभी खर्च का पृथक् और सही लेखा स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्त्ता से रखवायेगा

(ii) लेखा में ऐसे विवरण शामिल होंगे, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाय

(iii) उक्त व्यय का कुल योग ऐसी अधिकतम सीमा से, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाय,अधिक नहीं होगा

(iv) किसी निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अन्दर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से व्यय विवरणी समर्पित करेगा, जो उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा रखी गई लेखा की सच्ची प्रतिलिपि होगा

65 'क' 'क' निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनर्हता –

(i) यदि राज्य निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाय कि कोई व्यक्ति,-

(क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित समय एवं रीति से जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए, निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया है, और

(ख) चूक के लिए कोई युक्तियुक्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है तो सम्यक जांचोपरान्त तथा प्रभावित पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् उसे निरर्हित घोषित करने का विनिश्चय करेगा तथा राजकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसे निरर्हित घोषित कर सकेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तिथि से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा

(ग) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) ऐसे लेखाओं की जाँच कर सकेगा तथा प्रभावित पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात उसे निरर्हित करने हेतु अपना विनिश्चय करेगा तथा ऐसा व्यक्ति जिला गजट में अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित हो जाएगा

(ii) निरर्हता को हटाना या उसकी कालावधि कम करना –

राज्य निर्वाचन आयोग पर्याप्त कारणों के लिए, जो अभिलिखित किये जाएंगे, ऐसी निरर्हता को हटा सकेगा या उसकी कालावधि को कम कर सकेगा

5. झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001 की धारा 66 का संशोधन -

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 66 की उपधारा 5 में शब्द राज्य निर्वाचन आयोग को के पश्चात शब्द **स्वत: संज्ञान पर या** अन्त:स्थापित किया जाता हैं

6. झारखण्ड अधिनियम, 06, 2001 की धारा 80 का संशोधन

धारा 80 में निम्न प्रावधान सन्निहित किया जाता है :-

(क) भवन निर्माण पर नियंत्रण हेतु संदर्भित नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत, भवन निर्माण की अनुमति प्रदान कर सकेगी

(ख) ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्दर सभी प्राकर के आवासीय, गैर आवासीय एवं वाणिज्यिक भवन के संबंध में निर्माण की अनुमति ग्राम पंचायत द्वारा दी जाएगी संदर्भित नियमावली के अनुरूप भवनों के आकार-प्रकार के अनुसार पंचायत समिति एवं जिला परिषद को भवन निर्माण के सबंध में अनुमति प्रदान करने की शक्ति होगी

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
बी0 बी0 मंगलमूर्ति,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

- अधिसूचना -

18 मई, 2015

संख्या-एल0 जी0-09/2015-29/लेज0 -- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक-12/05/2015 को अनुमत झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Panchayat Raj (Amendment) Act, 2015

(Jharkhand Act, 08, 2015)

An Act for Amendment of Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001
(Jharkhand Act, 06, 2001)

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the sixty six year of the Republic of India.

1. Introduction, Short title and commencement

(1) This shall be known as Jharkhand Panchayat Raj Act (Amendment), 2015"

(2) It shall extend to hole of the State of Jharkhand

(3) It shall come in to force with immediate effect

(4)

2. Amendment in section 39 and 54 of Jharkhand Act, 06, 2001

In section 39 and 54 of Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 the word "and nominated" shall be abolished.

3. Amendment in section 64 of Jharkhand Act, 06, 2001

After section 64 of Act, a new sub section 64(a) shall be inserted –
64(a) Disqualification of Membership-

(1) Notwithstanding anything contained in act any candidate i.e. member of Gram Panchayat Mukhia of Gram Panchayats, Members of Panchayat Samiti or

member of Zila Parishad for the elections or after the elections disqualified for the post, if the candidate disqualified under section 19, 38 and 53 of the act.

(2) Notwithstanding anything contained any person shall not be eligible for elections of member of Gram Panchayat, Mukhia of Gram Panchayat, Member of Panchayat Samiti or Member of Zila Parishad, if such candidates does full fill the criteria under sections, sub section- (II) of section- 18, sub section-(2) of section- 37 and sub section (2) of section- 52 of the act;

Provided that if any candidate elected on such post/places under the said provisions of act, on the post reserved for schedule cast or schedule tribe or other backward class or woman seats and candidate does not belongs to that category and the candidature has not been challenged by filing election petition, in such cases under sub section- (2) the matter shall be refer to State Election Commission. Such case may be brought before the State Election Commission by person, by competent authority, by application or by complaint. The State Election Commission can take sue motto in such cases and after giving proper opportunity to the concerned parties, such cases shall be decided as soon as possible.

(3) If at any level such question arises before or after Election that any Member of Gram Panchayat, Mukhia of Gram Panchayat, Member of Panchayat Samiti or Member of Zila Parishad as stipulated under Article- 243(F) of constitution of India and disqualified under section-19, 38 and 53 in this case matter shall be referred to State Election Commission. Matter of disqualification shall be brought before State Election Commission by any person, by authority, by application or by information. State Election Commission can take sue motto action in this regard and after hearing and after giving proper opportunity to the parties mater shall be decided as soon as possible;

Provided that if such complain or application in under- 152 of the Act in this case, State Election Commission shall not be competent authority.

4. Amendment in section 65 of Jharkhand Act, 06, 2001

After section 65, a new sub section 65(a) and 65(a)(a) shall be inserted in Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001-

Section 65(a) election expenditure account and it's maximum limit-

(i) Every election candidate by himself or through it's election agent shall maintain all expenditure account separately and accurately from the date of nomination till declaration of result.

(ii) Account shall be maintained in the duly provided Performa by the State Election Commission.

(iii) The total expenditure as mentioned above shall not exceed the limit decided by the State Election Commission.

(iv) Every candidate shall submit election expenditure in duly provided Performa before District Election Officer (Panchayat) within 30 days from declaration of the result of the Panchayat Election through his returning Officer which will be the true copy of Account maintained by him or his Election agent.

Section 65(a) (a) criteria for disqualification in case candidate does not submit election expenditure-

(i) If the State Election Commission is convinced that-

(a) Candidate failed to submit election expenditure Account within the prescribed time and date as per State Election Commission and

(b) The reason for failure of non submission of Election Expenditure Account within time is not convincing and is not in accordance with law. State Election Commission, after due enquiry and after providing sufficient time for hearing the party shall disqualify the candidate from election and notify it in the State Gazette and such person shall be disqualified for three years.

(c) District Election Officer (Panchayat) shall examine by authorization such Account and after providing sufficient time for hearing the party shall disqualified the candidate from election and notified it in the State Gazzette and such person shall be disqualified for three years.

(ii) State Election Commission shall be the competent authority to reduce the tenure of disqualification or remove the disqualification based on sufficient ground.

5 Amendment in section 66 of Jharkhand Act, 06, 2001

In sub section 5 of the section 66 of Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 after the word "State Election Commission" the word "the suo moto or” should be inserted.

6 Amendment in section 80 of Jharkhand Act, 06, 2001

In Section 80 the following shall be inserted:-

(a) “Permission regarding construction shall be given as per the Rules regarding control over construction to the Gram Panchayat.”

(b) The Gram Panchayat shall be the competent authority to approve all residential and non residential, commercial building in the area of their jurisdiction with or without the approval of higher Panchayati Raj Institutions of Panchayat Samiti/Zila Parishad as per the specified rules with the object of systematic and planed growth."

By order of the Governor of Jharkhand,
B.B. Mangalmurti,
Secretary-cum-L.R.
Law (Judicial) Department,
Govt. of Jharkhand, Ranchi.

अधीक्षक झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित
झारखण्ड गजट (असाधारण) 336-50 ।